

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चि.स्वा./ग्रुप-2/2024

जयपुर, दिनांक :

आ दे श

बून्दी जिले के उप जिला चिकित्सालय, नैनवा में खुले में बेंच पर महिला के हुए प्रसव के प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, नैनवा, बून्दी द्वारा प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर डा. मुरारी लाल मीणा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, नैनवा, बून्दी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के एतद द्वारा आदेश प्रदान किये जाते हैं।

डा. मुरारी लाल मीणा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का निलम्बन अवधि में मुख्यालय निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर के कार्यालय में रहेगा। डा. मीणा को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निशा मीना)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त आदेशों की पुष्टि कराने की कृपा करावें।
- 4- निदेशक, जनस्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डा. मीणा के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार आरोप पत्रादि इस विभाग को अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करावें एवं उपस्थिति पंजिका में डा. मीणा की उपस्थिति दर्ज करावें।
- 5- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन, कोटा
- 6- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी
- 7- डा. मुरारी लाल मीणा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, नैनवा, बून्दी
- 8- कम्प्यूटर सेल
- 9- निजी /रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref  
6725160



Signature valid

Digitally signed by Nisha Meena  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2024.04.23 10:10:25 IST  
Reason: Approved